

नायालय नायब तहसीलदार मियाड, जिला बाइनेस

राजस्व इकरण मामला संख्या 126/2025 अर्थात धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956  
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य  
जरिये पटवारी मियाड

बंयत राम पुत्र धर्मासिम  
जाति वैद्यवाल निकासी सफारतीया।

"निर्णय"

दिनांक-27.10.2025

पत्रावली आज बगुलाम मियाड में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया सक्षिपत में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मियाड ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर विवेदन किया है कि गैर सा. ने भीजा सफारतीया के खसरा नं. 1154/038 रकबा 82.7581 हैक्टेयर किन्स गै.नु.मगरा नै से 0.0744 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/कास्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु हलब किया गया। नोटिस सांगिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमण धोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रुपये 0.12 पैसा का गुना 50 जुर्माना राशि रुपये 06/- पूर्वांक में अधरे 18 रुपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और भू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भीतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 27.10.2025 को संवेजाम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार मियाड  
जाति वैद्यवाल निकासी सफारतीया  
धीयाड नै. जिले जिला -बाइनेस

